

# बाल ववािह मुक्त भारत अभियान

स्रोत: पी.आई.बी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में महि<mark>ला एवं बाल विकास मंत्रालय</mark> ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करना है।

 यह अभियान लैंगिक समानता के प्रतिभारत की प्रतिबद्धता एवं वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

# बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: यह एक अभिनव ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने तथा देश में बाल विवाह निषध अधिकारियों (CMPOs) के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है।
  - ॰ यह **लैंगिक हिसा के** खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम (जो 25 नवंबर (अंतर्राष्ट्रीय महिला हिसा उन्मूलन दिवस) से 10 दिसंबर (मानवाधिकार दिवस) तक चलने वाला एक वैश्विक आंदोलन है) के अनुरूप है।
    - CMPO बाल विवाह को रोकते हैं, अभियोजन साक्ष्य एकत्<mark>र करते हैं, ऐसे विवाहों</mark> के खिलाफ परामर्श देते हैं, उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और समुदायों को संवेदनशील बनाते <mark>हैं</mark>।
- बाल विवाह के खिलाफ शपथ: इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना और देश की प्रत्येक बेटी को सशक्त बनाना है, तथा एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में इसके गहन महत्त्व पर प्रकाश डालना है।
  - ॰ यह अभियान औसत से अधिक बाल विवाह दर वाले राज्यों अर्थात**पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम** और **आंध्र परदेश** को लक्षित करेगा।
- उपलब्धियों की सराहना:
  - ॰ अभियान के शुभारंभ के दौरान, मंत्री ने महिला सशक्तिकरण में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, तथ**जन्म के समय लिगानुपात** में वर्ष 2014-15 में 918 से वर्ष 2023-24 में 930 तक सुधार का ब्यौरा दिया।
  - ॰ यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह प्रतिषिध अधिनियिम, 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
    - इस अधनियिम के तहत 18 वर्ष से कम आ<mark>यु की ल</mark>ड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के वविाह पर सख्त प्रतिबंध है।
- महत्त्वः
  - लड़कियों की शिक्षा और सशक्ति<mark>करण के लिये</mark> समर्थन<u>: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2</u>020 के अनुरूप, यह अभियान लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये चल रहे सरकारी परयासों को दरशाता है।
  - ॰ बाल विवाह उन्मूलन: अभियान ने जागरूकता बढ़ाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

### भारत में बाल विवाह से संबंधित विधायी रूपरेखा क्या है?

- विधायी रूपरेखा: भारत ने वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषध अधिनियिम पारित किया, जिसके तहत विवाह की कानूनी आयुपुरुषों के लिये 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई।
  - बाल विवाह प्रतिषध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को विशिष्ट क्षेत्रों के लिये बाल विवाह प्रतिषध अधिकारी (CMPO)'
    नियुक्त करने की अनुमति देती है।
  - सरकार ने महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाकर **21 वर्ष करने** तथा उसे पुरुषों के समान करने के ल<u>िये बाल विवाह प्रतिषध (संशोधन)</u> विधियक, **2021**' नामक विधियक पेश किया है। 17वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधियक अंततः व्यपगत हो गया।
- संबंधित काननः
  - ॰ **पॉक्सो अधनियिम:** 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से विवाह करने वाले पुरुषों <u>परयौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्</u>सो) अधनियिम के तहत मामला दरज़ किया जाएगा और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की बालिकाओं से विवाह करने वालों पर बाल

# UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

#### [?|?|?|?|?|?|?]

प्रश्न. बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखिति पर विचार कीजियै: (2010)

- 1. विकास का अधिकार
- 2. अभवि्यक्ति का अधिकार
- 3. मनोरंजन का अधिकार

#### उपर्युक्त में से कौन-से अधिकार बच्चों के है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bal-vivah-mukht-bharat-abhiyan